न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–191/2012–13

श्री चण्डी प्रसाद आदि –बनाम– राज्य सरकार आदि

उपस्थितः श्री विनोद चन्द्र रावत, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार : श्री राजवीर सिंह, सहा0 जिला शास0अधि0(राजस्व)

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता वन विभाग : श्री एस0डी0 पन्त।

बावत

मौजा जोहड़ी, परगना केन्द्रीयदून,
तहसील व जनपद देहरादून।

आदेश

यह द्वितीय अपील विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या–6/2012–13 चण्डी प्रसाद व अन्य बनाम सरकार एवं अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 13–09–2013 के विरूद्व योजित की गई हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपने अधिकारों की घोषणा हेतु एक वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, मसूरी कैम्प–देहरादून के न्यायालय में इस आशय से योजित किया कि वादीगण ग्राम सभा जोहड़ी परगना केन्द्रीय दून के मूल निवासी हैं। वादीगण उक्त ग्राम के पुराना खसरा नम्बर–219 मिन0 में लगभग 06 एकड़ भूमि विद्यमान थी एवं खसरा नम्बर–220 में 2.12 एकड़ भूमि विद्यमान थी जिसपर वे पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। खसरा नम्बर–219 का कुल क्षेत्रफल 34.65 एकड़ था जो बन्दोबस्त में दर्ज था। वर्ष 1968 में यू0पी0 गजट नोटिफिकेशन नम्बर–23(3)/एक्स0वाई0वाई0–बी–67 दिनांक 06–04–1968 पृष्ठ 4934 गजट दिनांक 05–10–68 द्वारा 26 एकड़ भूमि को इस खसरा नम्बर में से आरक्षित वन घोषित किया गया शेष 8.65 एकड़ भूमि आरक्षित वन से बाहर रही। विवादित भूमि जिसके पूरब में आरक्षित वन भूमि पश्चिम में आरक्षित वन भूमि, उत्तर में भूमि व मकान श्री वक, दक्षिण में भूमि श्री सुबोध रस्तोगी पर वादी का कब्जा पूर्वजों से चला आ रहा है। इस खसरा नम्बर में वादी का नाम 01.90 एकड़ भूमि पर दर्ज हो सका एवं 0.321 एकड़ भूमि पर भूलवश दर्ज होने से छूट गया। इस भूल का सम्भावित कारण वादी के अनुसार विवादित भूमि का तीन ओर से जंगल से घिरा होना रहा है। यह भूमि कभी बंजर नहीं रही बल्कि हमेशा उसके पूर्वजों की काश्त रही है। वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने पक्ष में संक्रमणीय भूमिधर घोषित करने की याचना की गई। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी ने वाद बिन्दु विरचित करते हुए उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 17–12–2012 से वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद निरस्त किया गया। सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 17–12–2012 के विरूद्व

a

अपीलार्थीगण ने विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष अपील योजित की जो निर्णयादेश दिनांक 13–09–2013 से निरस्त हुई। अपर आयुक्त के निर्णयादेश से क्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में याजित की गई है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क है कि अपीलार्थीगण ग्रामसभा जोहड़ी के मूल निवासी हैं और उक्त गांव में पुश्तों से रह रहे हैं। अपीलार्थीगण की अतिरिक्त भूमि खसरा नम्बर पुराना 219 मिनजुमला में लगभग 06 एकड़ भूमि विद्यमान थी और खसरा नम्बर 220 में उनकी लगभग 2.12 एकड़ भूमि विद्यमान थी जिस पर वह लगातार पूर्वजों के समय से आज तक काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि खसरा नम्बर–219 का कुल क्षेत्रफल 34.35 एकड़ था अर्थात 14.0220 है0 जो बन्दोबस्त 1345 फसली में दर्ज था। इस भूमि खसरा नम्बर–219 में से क्षेत्रफल 26 एकड़ को दिनांक 01–11–1960 यू0पी0 गजट नोटिफिकेशन 23(3)/एक्स0वाई0वाई0–बी–67 दिनांक 06–04–1968 पृष्ठ 4934 गजट दिनांक 05–10–68 द्वारा 26 एकड़ भूमि को इस खसरा नम्बर में से आरक्षित वन घोषित किया गया शेष 8.65 एकड़ भूमि आरक्षित वन से बाहर रही जो कभी बजंर, जंगल झाडी नहीं रही। उक्त खसरा नम्बर–219 में स्थित वन भूमि जिसे आरक्षित घोषित किया के सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय एफ0एस0ओ0/एस0डी0ओर0 देहरादून वाद संख्या–6/1955 डी0एफ0ओ0 देहरादून बनाम ग्राम सभा सिनौला/जोहड़ी चला था और इस भूमि को आरक्षित घोषित करते हुए ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 05–03–65 में वर्णित शर्तों के अनुसार ही आरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही पूर्ण की गई थी। उस समय भूमि खसरा नम्बर–219 मिनजुमला के लगभग 06 एकड़ भूमि पर अपीलार्थीगण के पूर्वजों का वास्तविक स्वामित्व व अधिपत्य बहुत पहले से ही लगातार चला आ रहा था। परन्तु राजस्व अभिलेखों में भूलवश केवल 1.90 एकड़ भूमि पर ही अपीलार्थीगण का नाम अवैध रूप से दर्ज किया गया। जबकि अपीलार्थीगण के पूर्वज जमींदारी विनाश अधिनियम–1951 लागू होने से भी लगभग 50 वर्ष पूर्व से ही उक्त भूमि पर लगातार काबिज थे और काश्त कर रहे थे। इस भूमि के तीन तरफ वन विभाग की भूमि है। इसलिए राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थीण की इस भूमि को भूलवश जंगल साल दर्ज किया गया जबकि इस पर कभी जंगल नहीं रहा। 30 जून, 1952 को जब जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हुआ उस समय अपीलार्थीगण के पूर्वज का विवादित भूमि पर अधिपत्य था और भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने पर राज्य सरकार/ग्राम सभा जोहड़ी में निहित नहीं हुई बल्कि अपीलार्थीगण के पूर्वजों के स्वामित्य अधिपत्य में रही। उक्त गांव में अभिलेख प्रकिया आरम्भ होने के कारण लम्बे समय तक राजस्व अभिलेख तैयार नहीं हुए और इस दौरान राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 219 मिनजुमला को अवैध रूप से खाता संख्या–276 जंगल साल वन विभाग के नाम दर्ज करते हुए उसके नये भूमि खसरा नम्बर 424म रकबा 0.0320 है0 425ख रकबा 0.0340 है0, 426ख रकबा 0.0710 है0, 428ग रकबा 0.0210 है0, 433ख रकबा 0.7060 है0 कुल रकबा 1.0440 है0 तथा खाता संख्या 282 में खाले में खसरा नम्बर 434ख रकबा 0.1000 है0 खाता संख्या–91 में अपीलार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 433क रकबा 0.1540 है0 अंकित कर दिया गया जो पूर्णतया गलत हैं। नये बन्दोबस्त में बिना किसी आधार के उक्त वर्णित खसरा नम्बरों को जो खसरा नम्बर–219 से बने थे कई खसरा नम्बरों में विभक्त कर दिया गया और विभिनन खातों में दर्ज कर दिया गया परन्तु बन्दोबस्ती मानचित्र में उसे नहीं दर्शाया गया और न ही बन्दोबस्ती मानचित्र में कोई विभाजन किया गया। प्रश्नगत भूमि वन भूमि नहीं है और न ही हो सकती है उसे अवैध रूप से राजस्व अभिलेखों में वन भूमि दर्ज किया गया है जबकि वन भूमि केवल खसरा नम्बर–219 मिनजुमला रकबा 26 एकड़ ही दिनांक 01–11–1968 को आरक्षित वन घोषित हुई है। कोई भूमि जब तक वन भूमि की परिभाषा में नहीं आती जब तक भारत वन अधिनियम 1927 की धारा–4 व 6 के अन्तर्गत उस भूमि का

राज्य सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन नहीं कर दिया जाता। इसी प्रकार जब तक कोई भूमि आरक्षित वन भूमि नहीं होती तब तक उसको धारा–20 वन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार आरक्षित वन घोषित नहीं कर दिया जाता। ग्राम जोहड़ी में वाद संख्या–6/1955 में पारित आदेश दिनांक 15–07–1964 से केवल 26 एकड़ भूमि ही आरक्षित वन क्षेत्र घोषित हुई है शेष भूमि वन भूमि नहीं है। विवादित भूमि पर न तो कोई जंगल और न ही कोई खाला है। उसमें अपीलार्थीगण की खेती हो रही है। प्रतिवादीगण की ओर से पहले एक प्रतिवाद पत्र दिनांक 29–09–2004 को जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व द्वारा जो जिलाधिकारी के हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया गया और उन्होंने वादी के कथनों का खण्डन किया तथा भूमि को प्रतिवादीगण में निहित होना बताया तथा यह भी बताया गया कि विवादित भूमि जमींदारी खात्मे के समय राजस्व अभिलेखों में जंगल साल दर्ज थी। इसलिए अपीलार्थीगण को उक्त भूमि पर कब्जे के आधार पर कोई अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। इसके बाद पुनः एक नया जबावदावा प्रतिवादी संख्या–2 व 3 की ओर से दिनांक 03–02–2005 को अलग–अलग प्रस्तुत किया गया जो वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर मसूरी वन प्रभाग प्रतिवादी संख्या–3 एवं प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से तीन बार प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर अपीलार्थीगण ने अपनी आपत्तियां दिनांक 04–03–2005 को प्रस्तुत की गई कि प्रतिवादीगण अपना प्रतिवाद पत्र एक बार ही प्रस्तुत कर सकते हैं बार–बार नहीं। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर जो गुणदोष पर निर्णय पारित किया है उसमें वाद बिन्दु 1, 2 व 3 का निस्तारण एक साथ किया गया है जो किसी प्रकार वैधानिक नहीं है। इन वाद बिन्दुओं का विधि अनुसार अलग–अलग निर्णय अधीनस्थ न्यायालय को करना चाहिए था। वाद बिन्दु संख्या–1 जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को यह तय करना था कि क्या विवादित भूमि के भूमिधर वादीगण है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल इस आधार पर कि 1345 फसली में विवादित भूमि जंगल साल दर्ज है इसलिए वादीगण विवादित भूमि के भूमिधर नहीं हो सकते किसी प्रकार उचित नहीं है। 1345 फसली का जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के अधिकारों को घोषित करने में कोई महत्व नहीं है बल्कि जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत 1359 फसली के इन्द्राज के आधार पर ही व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा की जाती है। 1345 फसली में समस्त भूमि जमींदारों की थी और उन्हें अपनी भूमि को किसी भी व्यक्ति को नौ तोड़ करवाकर उसमें खेती करने के लिए प्रदान करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त था उसमें राज्य सरकार का कोई हित अथवा हस्तक्षेप नहीं होता था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से 1359 फसली में वादीगण के पूर्वजों की काश्त 5.87 एकड़ में दर्ज थी जो जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने पर नियमानुसार वादीगण की भूमिधरी भूमि हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना इस विधिक प्राविधानों के अवलोकन किये यह कहते हुए कि 1359 फसली में वादीगण का नाम कैसे दर्ज हुआ जबकि 1345 फसली में विवादित भूमि जंगल साल दर्ज थी वाद बिन्दु 1, 2 व 3 को वादीगण के विरूद्व निर्णित किया है जो किसी भी प्रकार उचित नहीं है। वाद बिन्दु संख्या–2 में अधीनस्थ न्यायालय को केवल यह निर्धारित करना था कि क्या विवादित भूमि कभी आरक्षित वन भूमि घोषित हुई अगर हां तो प्रभाव है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस वैधानिक बिन्दु का निर्णय ही नहीं किया। वाद बिन्दु संख्या–3 में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्णित करना था क्या विवादित भूमि का कोई सम्बन्ध ग्रामसभा/राज्य सरकार से है अथवा नहीं अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद बिन्दु को यह कहते हुए कि आरक्षित 26 एकड़ भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि 8.35 एकड़ का प्रबन्ध राज्य सरकार व वन विभाग का ही माना जायेगा। अपीलार्थीगण ने केवल 3.21 एकड़ भूमि के बारे में ही घोषणा चाही है। पत्रावली पर उपलब्ध 1359 फसली की खतौनी महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर ही निर्णय लिया जा सकता है कि अपीलार्थीगण के काश्त में खसरा नम्बर 219 में कुल कितना क्षेत्रफल दर्ज है। 1359 फसली के खसरे से

यह स्पष्ट है कि उतना क्षेत्रफल कभी भी राज्य सरकार अथवा ग्रामसभा में निहित नहीं हुआ और न हो सकता था। विधि का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि कोई भूमि कृषि भूमि की परिभाषा में आती है अथवा नहीं इसका निर्णय धारा–331क जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिक वाद बिन्दु बनाकर ही न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों ने एक ओर तो विवादित भूमि को बार–बार भूमि की परिभाषा से बाहर बताया और क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वाद बिन्दु संख्या–1 से 8 तक पर तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष निकालकर विधि विरूद्व कार्य किया है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयादेश त्रुटियुक्त हैं और निरस्त होने योग्य हैं।

प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील विधि के प्राविधानों के विरूद्व योजित की गई है जिस कारण विधि में पोषणीय नहीं है। द्वितीय अपील में सारवान विधि का प्रश्न निहित नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा जो प्रश्न मा0 न्यालय के समक्ष रखे गये हैं उन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त निष्कर्ष दिया जा चुका है। मात्र साक्ष्य के विवेचन में की गई त्रुटि अपने आप में सारवान विधि का प्रश्न नहीं बन सकती है। मौजा जोहड़ी के खसरा नम्बर 219 रकबा 34.35 एकड़ में से उत्तर प्रदेश सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा 26 एकड़ भूमि वन भूमि घोषित की गई थी तथा शेष 8.35 एकड़ भूमि आरक्षित वन भूमि घोषित हुई। प्रश्नगत भूमि हालांकि आरक्षित घोषित नहीं की गई लेकिन राजस्व अभिलेखों में वन भूमि दर्ज होने के कारण उस पर वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधान लागू होते हैं। राजस्व अभिलेखों में वन भूमि दर्ज कागजात होने के कारण उस पर किसी भी व्यक्ति को कोई भौमिक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा की भूमि होने का उल्लेख किया गया है। ग्रामसभा की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अवर न्यायालयों द्वारा साक्ष्यों के आधार पर निर्णयादेश पारित किये गये हैं जो उचित हैं। द्वितीय अपील निरस्त होने योग्य है।

प्रतिउत्तरदाता वन विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा इस द्वितीय अपील में अपना कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्षों को विस्तार से सुना एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया।

इस प्रकरण में अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा हेतु एक वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी कैम्प देहरादून के न्यायालय में इस आशय से योजित किया कि वादीगण ग्राम सभा जोहड़ी परगना केन्द्रीय दून के मूल निवासी हैं। वादीगण उक्त ग्राम के पुराना खसरा नम्बर–219 मिन0 में लगभग 06 एकड़ भूमि विद्यमान थी एवं खसरा नम्बर–220 में 2.12 एकड़ भूमि विद्यमान थी जिसपर वे पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। खसरा नम्बर–219 का कुल क्षेत्रफल 34.65 एकड़ क्षेत्रफल था जो बन्दोबस्त में दर्ज था। वर्ष 1968 में यू0पी0 गजट नोटिफिकेशन नम्बर–23(3)/एक्सा0वाई0वाई0–बी–67 दिनांक 06–04–1968 पृष्ठ 4934 गजट दिनांक 05–10–68 द्वारा 26 एकड़ भूमि को इस खसरा नम्बर में से आरक्षित वन घोषित किया गया शेष 8.65 एकड़ भूमि आरक्षित वन से बाहर रही। विवादित भूमि जिसके पूरब में आरक्षित वन भूमि पश्चिम में आरक्षित वन भूमि, उत्तर में भूमि व मकान श्री वक, दक्षिण में भूमि श्री सुबोध रस्तोगी पर वादी का कब्जा पूर्वजों से चला आ रहा है। इस खसरा नम्बर में वादी का नाम 01.90 एकड़ भूमि पर दर्ज हो सका एवं 0.321 एकड़ भूमि पर

भूलवश दर्ज होने से छूट गया। इस भूल का सम्भावित कारण वादी के अनुसार विवादित भूमि का तीन ओर से जंगल से घिरा होना रहा है। यह भूमि कभी बंजर नहीं रही बल्कि हमेशा उसके पूर्वजों की काश्त रही है। वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने पक्ष में संक्रमणीय भूमिधर घोषित करने की याचना की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर ने वाद में कुल 08 वाद बिन्दु विरचित करते हुए उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त इस विवेचना सहित कि वादीगण अपना वाद सिद्व करने में असफल रहें है वाद निर्णयादेश दिनांक 17–12–2012 से निरस्त किया गया। मैंने विद्वान सहायक कलेक्टर के आक्षेपित निर्णयादेश दिनांक 17–12–2012 का अवलोकन किया। इस निर्णयादेश के वाद बिन्दु संख्या–5 में उनके द्वारा यह विवेचना की गई है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से विदित हुआ कि विवादित भूमि कभी आरक्षित वन भूमि नहीं बल्कि जगंल साल के रूप में दर्ज रही। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सभी गवाहों के बयानों में यह तथ्य पुष्ट हुआ है कि प्रश्नगत भूमि पर कोई पेड़ नहीं हैं। वन विभाग की ओर से सहायक कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र पेपर नम्बर–12/1 से 12/3 का भी अवलोकन किया गया। वन विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रतिवादपत्र के पैरा–14 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में जंगल साल वन के रूप में दर्ज है और यह आरक्षित वन श्रेणी में नहीं आता है व आरक्षित वन के मुनारों से बाहर स्थित है। अवर न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत भूमि को भूमि की परिभाषा न होने का तर्क भी दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि एक तरफ तो वादग्रस्त भूमि को भूमि की परिभाषा में नहीं माना गया है वहीं दूसरी ओर वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निर्णयादेश भी पारित किये गये हैं जो उनके क्षेत्राधिकार में नही है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत जब तक कोई भूमि अकृषक घोषित न कर दी जाय अथवा कोई भूमि आरक्षित वन भूमि घोषित न की जाय वह कृषि भूमि होती है जो भूमि की परिभाषा में होती है। वन विभाग ने विचारण न्यायालय में प्रस्तुत अपनी आपत्ति दिनांक 29–12–2008 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भूमि खसरा नम्बर 219 का कुल क्षेत्रफल 34.33 एकड़ था एवं उसमें से केवल 26 एकड़ भूमि ही वर्ष 1968 में आरक्षित घोषित हुई शेष 8.35 एकड़ भूमि आरक्षित वन घोषित नहीं हुई। फसली वर्ष 1359 के खसरे से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी राज्य सरकार अथवा ग्रामसभा में निहित नहीं हुआ और न ही कभी आरक्षित वन भूमि घोषित हुई। यह तथ्य अभिलेखों से पुष्ट है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर–219 में से क्षेत्रफल 26 एकड़ को दिनांक 01–11–1960 यू0पी0 गजट नोटिफिकेशन 23(3)/एक्स0वाय0वाय0–बी–67 दिनांक 06–04–1968 पृष्ठ 4934 दिनांक 05–10–1968 से आरक्षित वन घोषित किया गया शेष भूमि वन विभाग से बाहर रही और जिसका कुल क्षेत्रफल 8.35 एकड़ था जो कभी बंजर, जंगल झाड़ी नहीं रही। यह भी स्पष्ट है कि सम्बन्धित भूमि आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर है और इस तथ्य की पुष्टि वन विभाग की ओर से सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी के न्यायालय में प्रस्तुत जबाव दावे से भी होती है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभिलेखों एवं साक्ष्यों के पुष्ट होते हुए भी अपीलार्थीगण को भूमिधर घोषित न किया जाना विधिक रूप से त्रुटियुक्त है। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त होने योग्य हैं और अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का भूमिधर घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश दिनांक 13–09–2013 एवं विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 17–12–2012

निरस्त किये जाते हैं। अपीलार्थीगण को वाग्रस्त भूमि का भूमिधर घोषित किया जाता है। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस हों तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 25/3/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य(न्यायिक)।